संख्या-2509 /अड़तीस-5-2013-22सम/2013

प्रेषक,

सुधीर कुमार श्रीवास्तव,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

4224
15/10

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग 5 लखनऊः दिनॉक 15 अक्टूबर, 2013

**विषयः- पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा/ विधान परिषद के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1045/ अड़तीस-5 -2013- 22सम/2013, दिनांक 28 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1337 /अड़तीस-5 -2013-22सम/ 2013, दिनांक 31मई, 2013 के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा/ विधान परिषद की संस्तुति पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प (नये / रिबोर) के अधिष्ठापन के निर्देश दिये गये थे।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत मा0 विधान सभा/ विधान परिषद सदस्यों द्वारा दी गयी सूची पर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन त्वरित गति से नहीं किया जा रहा है। मा0 सदस्यों की संस्तुति पर अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा के दृष्टिगत यह तथ्य उदघाटित हुआ है कि मा0 सदस्यों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के सापेक्ष जनपद स्तर पर अनुमोदित सूची एवं अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या काफी कम है।

3- इस सम्बन्ध मे मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28.05.2013 एवं 31 मई, 2013 के निर्देशानुसार मा0 सदस्यों की संस्तुति पर 100 की सीमा तक इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प (नये/ रिबोर ) अधिष्ठापित कराये जाने हैं। अतः यदि किसी मा0 सदस्य द्वारा उक्त शासनादेश के अन्तर्गत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रिबोर हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची के आधार पर उपर्युक्त शासनादेश में निर्धारित प्रकियानुसार हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन/रिबोर की कार्यवाही तत्काल करा दी जाय। उपर्युक्त शासनादेशों के अन्तर्गत मा0 विधान सभा/ विधान परिषद सदस्यों की संस्तुति पर अधिष्ठापित किये जाने वाले हैण्डपम्पों हेतु धनराशि भी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 को सीधे अवमुक्त की जा चुकी है।

भवदीय,

(सुधीर कुमार श्रीवास्तव)
सचिव

FA/UCT
15/10/13

UC(T)/Sh Santosh

संख्याः 2507 (1)/अड़तीस–5–2013, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, एन0आई0सी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई–मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

D:\2 Joshi\2013\GKS\GO-2013.docx